रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सचिवालय पुस्तकालय SECRETARIAT LIBRARY

सं. 226] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 1994/ज्येष्ठ 5, 1916
No. 226] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 1994/JYAISTHA 5, 1916

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1994

सा.का.नि. 477 (अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1994 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. उक्त स्कीम के पैरा 12 में :—

(क) उपपैरा (1) के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (हि.अ.कु.) की ओर से खोले गए खाते की बाबत भी समपहरण किया जा सकेगा।"

(ख) उपपैरा (2) में 'खाते की बाबत' शब्दों के पश्चात् "और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (हि.अ.कु.) की ओर से खोले गए खाते की बाबत" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 7/23/88-एन.एस. (II)]
ओम पाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : यह स्कीम सा.का.नि. 1136(अ), तारीख 15-6-68 के द्वारा अधिसूचित की गई थी और उसका सा.का.नि. 368 (अ) तारीख 1-8-72, सा.का.नि. 217(अ), तारीख 9-3-79, सा.का.नि., 270(अ), तारीख 16-3-83, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 7-2-84, सा.का.नि. 895(अ), तारीख 23-6-86, सा.का.नि. 1013(अ), तारीख 20-8-86 और सा.का.नि. 793(अ), तारीख 29-8-89 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1994

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 1994

2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In paragraph 12 of the said Scheme :—

(a) in sub-paragraph (1), at the end, the following note shall be inserted, namely :—

"Note : Nomination may also be made in respect of an account opened on behalf of a Hindu Undivided Family (HUF)."

(b) In sub-paragraph (2), after the word "minor", the words "and in respect of an account opened on behalf of a Hindu Undivided Family (HUF)" shall be omitted.

[F. 7|23|88-NS.II]

OM PAL SINGH, Under Secy.

Note : The scheme was notified vide GSR 1136(E) dt. 15-6-68 and amended vide GSR 368(E), 1-8-72, GSR 217(E), dt. 9-3-79, GSR 270(E), dt. 16-3-83, GSR 271(E), dt. 16-3-83, GSR 54(E), dt 7-2-84, GSR 895(E), dt. 23-6-86, GSR 1013(E) dt. 20-8-86 and GSR 791(E) dt. 29-8-89.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994